कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक– 685/ FP/UK/ROAD/27520/2017 :देहरादून:दिनांकः 11 सितम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र), 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल (गोराघाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.736 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/ROAD/27520/2017)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/11/2018/एफ.सी./98 दिनांक 16–04–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक – 603/12–1 दिनांक 24–08–2018 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम रंगेऊ की 3.472 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि ₹ 9,67,525.00 (₹ नौ लाख सड़सठ हजार पाँच सौ पच्चीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम रंगेऊ की सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

3. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 11,40,552.00 (₹ इग्यारह लाख चालीस हजार पाँच सौ पचपन) मात्र कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

4. शर्त संख्या–3 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां ₹ 21,08,077.00 (₹ इक्कीस लाख आठ हजार सतत्तर) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–4)**

–क्रमशः–

6. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित की गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव होगा, सड़क के दोनों किनारों एवं सेन्ट्रल वर्ज (Central verge) पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण करेगा। **(संलग्नक–5)**

7. शर्त संख–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा employment likely to be generated से सम्बन्धित सूचना आनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 685 / FP/UK/Other/27520/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, पी0एम0जी0एस0वाई0, मुख्यालय–कालसी, जनपद–देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

O/C